न्यायालय, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०), कानपुर–देहात।

UPRN0100344120 26

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–303/2026

नाहर सिंह बनाम सुरेन्द्र आदि

दिनांक–07.08.2026

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। पूर्व में प्रार्थी/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

प्रार्थी/आवेदक नाहर सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० विपक्षीगण सुरेन्द्र आदि के विरूद्ध इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 23/05/2026 को प्रार्थी अकबरपुर से अपने पैतृक गांव बिरिया बड़ी वापस जा रहा था। समय लगभग शाम 06:00 बजे जब प्रार्थी थनवापुर से बलाई की ओर मुड़ा तो बीच में गजना नाला के पास पहुंचा तभी गाँव के ही सुरेन्द्र पुत्र रामसनेही, नरेन्द्र पुत्र रामसनेही, सागर पुत्र सुरेन्द्र सिंह एवं दो अज्ञात व्यक्ति दो मोटर साइकिलों से आये और प्रार्थी का रास्ता रोक लिया सागर ने अपनी मोटर साइकिल प्रार्थी के वाहन के सामने लगाकर उसे रोक दिया। उक्त व्यक्तियों ने प्रार्थी से कहा कि थाना डेरापुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध सं०–188/2025 में समझौता कर लो। उल्लेखनीय है कि दीपावली के समय 2025 में ही बच्चों के विवाद को लेकर अभियुक्तगण व पारिवारिकजन ने प्रार्थी के घर में घुसकर मारपीट की थी जिससे प्रार्थी को गम्भीर चोटे आयी थी। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना डेरापुर में मु०अ०सं०–188/2025 पंजीकृत है। उक्त मुकदमा में अभियुक्तगण लगातार प्रार्थी पर मुकदमें में समझौता करने हेतु निरन्तर दबाव बना रहे है तथा कई बार जान से मारने की धमकी भी दे चुके है। जब प्रार्थी ने समझौता करने से स्पष्ट मना कर दिया तब नरेन्द्र ने प्रार्थी का कॉलर पकड़कर उसे मोटर साइकिल से नीचे गिरा दिया इसके बाद सुरेन्द्र, नरेन्द्र, सागर एवं दोनो अज्ञात व्यक्तियों ने एकराय होकर प्रार्थी को लात घूंसो तथा डण्डों से बुरी तरह मारना–पीटना प्रारम्भ कर दिया जिससे प्रार्थी को गम्भीर चोटें आयी। मारपीट के दौरान अभियुक्तगण ने प्रार्थी का मोबाइल फोन छीनकर सड़क पर पटककर क्षतिग्रस्त कर दिया तथा प्रार्थी की जेब में रखे 1740/–रु0 जबरन निकाल लिये। अभियुक्तगण ने मारपीट करते हुए प्रार्थी से कहा कि यदि मुकदमा अपराध सं0–188/2025 में समझौता नहीं किया तो उसे झूठे मुकदमों में फंसा देंगे तथा जान से मार देंगे। अभियुक्तगण प्रार्थी को भयभीत एवं आतंकित कर मुकदमें में समझौता करने के लिए विवश करना चाहते है। घटना के समय अकबरपुर से आ रहे मोनू पुत्र बाबू सिंह एवं राजा सिंह पुत्र हेदर लाल सहित अन्य राहगीर मौके पर आ गये जिन्होने घटना देखी तथा उक्त लोगों को आता देख अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गये। घटना के तुरन्त बाद प्रार्थी चौकी बिहार पहुंचकर शिकायत की किन्तु उसकी कोई सुनवाई नहीं की गयी और न ही उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। तत्पश्चात दिनांक 24/05/2026 को प्रार्थी ने जिला अस्पताल अकबरपुर में अपना उपचार एवं चिकित्सीय परीक्षण कराया जिसकी प्रतिलिपि इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में शिकायत करने व अभियुक्तगण के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के प्रयास से क्षुब्ध होकर अभियुक्तगण दिनांक 29/05/2026 को समय लगभग 08:00 बजे प्रार्थी के

दरवाजे पर चढ़ आये और गाली–गलौज करने लगे अभियुक्तगणों ने प्रार्थी व उसके परिवार वालों को गाली देते हुये कहा कि वे उसे देख लेंगे। तब प्रार्थी के भतीजे ने तत्काल 112 नम्बर पर कॉल कर पुलिस बुलायी तब अभियुक्तगण ने गाली देते हुये निकल गये। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर प्रार्थी ने दिनांक 30/05/2026 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात व एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय डेरापुर को जरिये रजिस्टर पत्र भेजा है लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नही की है। प्रार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना किये जाने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में एक किता प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात, दो किता मूल डाक रसीद, मेडिकल लीगल रिपोर्ट मूल रूप में व आधार कार्ड की प्रति दाखिल किया गया है।

संबंधित थाने से प्राप्त आख्यानुसार आवेदक के प्रार्थना पत्र के संबंध में जाँच की गयी तो पाया गया कि आवेदक नाहर सिंह एवं विपक्षीगण सागर आदि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चली आ रही है। पूर्व में आवेदक नाहर सिंह द्वारा दिनांक 22.10.2025 को थाना डेरापुर पर मु०अ०सं०–188/25 धारा–191(2),191(3),333,115(2),352,351(3) बी.एन.एस. बनाम सागर पुत्र सुरेन्द्र आदि सात नफर पंजीकृत हुआ था। मौके पर जाकर घटनास्थल के आस पास के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ व पता किया तो घटना की पुष्टि नहीं हुयी। पुरानी रंजिश व मुकदमा दर्ज कराने के लिये प्रार्थना पत्र बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। आवेदक के प्रार्थना पत्र के प्रकरण के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को घटना के सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है, जैसा कि माननीय न्यायालय द्वारा **रामबाबू गुप्ता व अन्य बनाम उ.प्र.राज्य,2001(43) ए.सी.सी., इलाहाबाद उच्च न्यायालय पूर्ण पीठ योगेन्द्र सिंह बनाम स्टेट आफ यू.पी.2005(2) जे.आई.सी. 686 इलाहाबाद हाई कोर्ट, श्रीमती अन्जू प्रति स्टेट ऑफ यू.पी. एवं अन्य 2009(4) जे.आई.सी.779, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुखवासी बनाम उ.प्र. राज्य 2008(1) ए.सी.आर. 170, मोहन शुक्ला एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू.पी. 2005(1) ए.सी.आर.155, सुरेश चन्द्र जैन प्रति मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य 2001(42) ए.सी.सी.459(सुप्रीम कोर्ट), जोसेफ माथुरी उर्फ विवेकानन्द व अन्य प्रति स्वामी सच्चिदानन्द हरी साक्षी व अन्य 2001(सप्लीमेंट्री) ए.सी.सी.957(सुप्रीम कोर्ट)** में दी गयी व्यवस्थाओं के आलोक में यह प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० दिनांक 23.09.2026 को पेश हो। तदनुसार प्रार्थना पत्र अंतर्गत 173(4) बी०एन०एस०एस० निस्तारित किया जाता है।

(पारुल श्रीवास्तव)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र),
कानपुर–देहात।

दिनांक–07.08.2026

Digitally signed by Parul Srivastav
Date: 2026.08.07 16:29:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court